३५५

३०

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 2017/पुनरीक्षण
I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4779

(1) भगवान सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह, उम्र 48 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम रूसिया, तहसील कुरवाई जिला विदिशा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. पहलवान सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी– ग्राम रूसाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

...गैर निगरानीकर्तागण

औपचारिक पक्षकार

1. मुन्नी बाई वेवा श्री गुलाब सिंह आयु 65 वर्ष,
2. अशोक आयु 41 वर्ष
3. कपूर सिंह आयु 38 वर्ष
4. यशवंत उर्फ स्टीफन आयु 35 वर्ष
5. क्रान्ति सिंह आयु 33 वर्ष

सभी पुत्रगण स्व. श्री गुलाब सिंह

फूल सिंह मृतक वारिसान

6 शांति बाई वेवा फूल सिंह आयु 60 वर्ष
7 रामसिंह आयु 39 वर्ष
8. मोहर सिंह आयु 39 वर्ष
9. शक्ति सिंह आयु 35 वर्ष
10. बापू सिंह आयु 31 वर्ष

सभी पुत्रगण स्व. श्री फूल सिंह

11. इराज सिंह आयु 53 वर्ष

अमर सिंह मृतक वारिसान

12. भजयाबाई वेवा अमर सिंह आयु 50 साल
13 नरेन्द्र आयु 30 वर्ष
14. श्याम चरण आयु 35 वर्ष
15. कोन्ती आयु 28 वर्ष
16. कल्याण आयु 25 वर्ष

३

सभी पुत्रगण, स्व. श्री अमर सिंह

17. लच्छोबाई वेवा गुच्छन्न जातिगण पारधी

समस्त निवासीगण- ग्राम रूसिाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

18. दीपक पुत्र गुच्छन्न

19. कमल सिंह

20 हीरा सिंह

समस्त निवासीगण- ग्राम रूसिाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 22.11.2017 न्यायालय माननीय नायब तहसीलदार महोदय, कुरवई जिला विदिश द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/अ-27/17 पहलवान सिंह बनाम गुलाब सिंह व आदि में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य

सेवा में निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन निम्न प्रकार पेश है:-

1. यहकि, गैर निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत वास्ते खाते का विभाजन हेतु माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार कुरवई के समक्ष पेश किया गया था। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है - यहकि, ग्राम कच्छपुरा तह. कुरवई में स्थिति शामलाती खाते की भूमि सर्वे नम्बरान 1 रकवा 4.547 है. 43 रकवा 5.426 है. 49/2 रकवा 0.427 है. 50/1 रकवा 4.778 है, 50/2 रकवा 0.991 है. 51/1 रकवा 2.456 है. 51/2 रकवा 0.836 है, कुल किता 7 कुल रकवा 19.461 है के सम्बन्ध में गैर निगरानीकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के संबंध में आवेदन दिया गया, उक्त आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् माननीय न्यायालय तहसीलदार कुरवई द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण क्रमांक 46/अ-27/17.

(349)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4779

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरशद अली उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	